न्यायालय न्याय निर्णयन् अधिकारी(अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट) जालोर

पीठासीन अधिकारी — श्री छगनलाल गोयल, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या — 2/2017

प्रार्थीः–	बनाम	अप्रार्थीगणः–
सरकार जरिये श्री गजेन्द्रकुमार सिंघल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जालोर		1.श्री बाबूलाल पुत्र जीवाजी, मैसर्स–परिहार जनरल स्टोर, माघ चौक,भीनमाल, जिला जालोर 2.भागीरथमल पुत्र लालचंद/लालचंद अग्रवाल,गणेश चौक भीनमाल, निवासी–325अग्रवाल कॉलोनी,भीनमाल जिला जालोर,मो.नं.9928140780 ,9413656918 3.राजेन्द्र टेकचंद अग्रवाल, मैसर्स– एस.के.इण्डस्ट्रीज, 2706/2 बी, शिवाजीनगर,जलगांव महाराष्ट्र --425001,मो.नं. 0941435670

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(।।) एफ व धारा 52 के तहत्

उपस्थिति :–

1.श्री गजेन्द्रकुमार सिंघल,खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जालोर, प्रार्थी सरकार की ओर से उपस्थित।

2.श्री रिजवान अली,अभिभाषक, अप्रार्थीगण सं. 1 से 3 की ओर से उपस्थित।

निर्णय दिनांक 2.5.2019

1. प्रार्थी श्री गजेन्द्रकुमार कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य दिनांक 4.1.2016से 19.6.2018 तक सम्पन्न किया है और वर्तमान में दिनांक 25.1.2019 से लगातार कार्यरत है। प्रार्थी को राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन कमांक H/FSSA/Notification/2011-727 दिनांक 29.11.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्रयुक्त करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक(जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं राज. जयपुर के आदेश कमांक एफएसएसए/2015/1032 दिनांक 30.12.2015 के अनुसार प्रार्थी को

कार्यक्षैत्र कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जालोर आवंटित किया गया है। क्रमांक शासन उप सचिव,कार्मिक विभाग,राजस्थान जयपुर जारी अधिसूचना क्रमांक/प.1(2) कार्मिक/ क–4/ 08 दिनांक 5.4.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा 1 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेटो को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अधिनस्थ कार्यक्षैत्र के लिए न्याय निर्णयन् अधिकारी नियुक्त किया गया है।

2. खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जालोर ने अप्रार्थी के विरूद्ध एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 20.4.2016 को 4.00 पी.एम पर मैसर्स–परिहार जनरल स्टोर, भीनमाल, जिला जालोर पर पहूंचने पर प्रार्थी ने विक्रेता को अपना परिचय दिया व परिचय पत्र दिखाया, पूछने पर विक्रेता ने अपना नाम बाबूलाल पुत्र जीवाजी बताया तथा स्वयं को दुकान का मालिक होना बताया, वास्ते निरीक्षणार्थ वर्ष 2016 का खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञापत्र होना जाहिर किया। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि दुकान के अन्दर रैक में 1लीटर रिफाइण्ड मूंगफली तेल (पोस्टलाईन ब्राण्ड)पैकिंग की लगभग 7 बोतल आम जनता को विक्रय के लिये रखी हुई थी ,मिलावट का सन्देह होने पर दुकान से 1लीटर रिफाइण्ड मूंगफली तेल (पोस्टलाईन ब्राण्ड)की चार बोतल वास्ते नमूना जांच खरीदी , जिसकी कीमत के विक्रेता को 840 रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की, जिस पर प्रार्थी स्वयं व विक्रेता तथा उपस्थित गवाहान पीताम्बरदास पुत्र हरलालजी जाति माहेश्वरी,निवासी भीनमाल व जॉन मोहम्मद ,वाहन चालक कार्यालय हाजा ने हस्ताक्षर किये। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नं. 5–ए की प्रतिया व फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता व गवाहान् को पढकर ,सुनाकर व समझकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिस पर अप्रार्थी बाबूलाल ने भी पढकर,समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये, फार्म सं. 5–ए की एक प्रति अप्रार्थी/विक्रेता श्री बाबूलाल को देकर रसीद प्राप्त की। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदसुदा 1लीटर की चार बोतलों लिया तथा लेबल तैयार किये व लेबल पर डी.ओ. के कोड ओ–623 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर प्रार्थी स्वयं ने हस्ताक्षर किये व विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये । चारो नमूना बोतलों को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. जालोर की हस्ताक्षरसुदा पेपर स्लीप सं.ओ–623 नियमानुसार चारो नमूना बोतलों पर नीचे उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर,प्रत्येक भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया।

प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता/मालिक एवं गवाहान् के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लीप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को प्रार्थी ने अपने जाब्ते में लिया। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं.6 की 6 प्रतिया तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया गया। एक नमूना भाग मय फार्म नं.6 की प्रति के आउटर कवंर में सील बन्द कर,सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य जन विश्लेषक, राज. जोधपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की, दो फार्म सं.6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सीलमोहर कर खाद्य विश्लेषक एवं जन विश्लेषक राज. जोधपुर को जमा कराकर,फार्म नं. 6 की पुश्त पर रसीद प्राप्त की। शेष दो सीलबंद नमूना भाग में फार्म नं. 6 की दो प्रतियो के आउटर कंवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग डी.ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जालोर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जालोर के पत्र कमांक/एफएसएसए /2016/2412 दिनांक 16.5.2016के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य जन विश्लेषक, राज जोधपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./429/एक्ट /2016/457 दिनांक 27.4.2016 के अनुसार प्रार्थी द्वारा वास्ते जांच लिया गया नमूना मिसब्राण्डेड का होना पाया गया। अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी जालोर ने **पत्र** क्रमांक/एफएसएसए/स्वीकृति/ 2016/ओ—685/3758 दिनांक 13.12. 2016 **के द्वारा** खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त कैस को न्याय निर्णयन् अधिकारी को प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया। उक्त केस में मिसब्राण्डेड रिफाइण्ड मूंगफली का तेल (पोस्टलाईन ब्राण्ड) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(II) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है।

3. खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य क्षैत्र नोटिफिकेशन की प्रति, नमूना खरीद बिल असल, फार्म नं.5ए असल,मौका फर्द रिपोर्ट असल,फार्म नं.6 असल एवं प्राप्ति रसीद ,खाद्य विश्लेषक जोधपुर द्वारा खाद्य नमूना संख्या 0—623 की प्राप्ति रसीद,खाद्य विश्लेषक जोधपुर की जांच रिपोर्ट, मु.चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जालोर का पत्र कमांक एफ एसएसए/स्वीकृति/2017/ओ—623/07 **दि.13.12.16** आदि कागजात् प्रस्तुत किये है।

4. खाद्य सुरक्षा अधिकारी से परिवाद प्राप्त होने पर दि. 11.1.2017 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को विधिवत् नोटिस जारी कर अपना पक्ष दिनांक 31.1.2017 को कार्यालय हाजा में स्वयं या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया। अप्रार्थी सं.1 से 3 की ओर से श्री रिजवान अली, वकील उपस्थित आये। अप्रार्थीगण वकील को उसके खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा पेश किये गये परिवाद में वर्णित तथ्यों को पढकर अवगत करवाया।

5. अप्रार्थी सं.1 से 3 के वकील ने दिनांक 29.5.2018 को जवाब पेश किया कि प्रार्थी ने उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही अवैधानिक तरीके से की है। प्रार्थी द्वारा कथित कागजात् में क्या लिखा पढी की गई, वह उतरदाता अप्रार्थी सं. 1को पढाया नही और न ही समझाया। उतरदाता ने सद्भावनापूर्वक प्रार्थी के बताए स्थान पर अपने हस्ताक्षर किये थे। कथित 1 लीटर रिफाइण्ड मूंगफली का तेल (पोस्टलाईन ब्राण्ड) में मिलावट का सन्देह होने पर जब्त किया जाकर वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य जन विश्लेषक जोधपुर को भेजा गया परन्तु उक्त जांच रिपोर्ट में कथित जब्तसुदा मूंगफली का तेल में किसी भी प्रकार की कोई मिलावट नही आई है और न ही तेल किसी भी व्यक्ति के लिए हानिकारक है परन्तु प्रार्थी ने गलत रूप से उतरदाता अप्रार्थीगण को हैरान व परेशान करने के लिए कथित नमूना को मिसब्राण्डेड होने का आरोप लगाया गया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र मय खर्चा खारिज करावे।

6. सरकारी साक्ष्य सं.1(प्रार्थी)—श्री गजेन्द्रकुमार ,खाद्य सुरक्षा अधिकारी के दिनांक 19.2.2019 को बयान लिये गये, बयान में बताया कि मूंगफली का तेल (पोस्टलाईन ब्राण्ड) नमूना जांच रिपोर्ट में मिस ब्राण्डेड पाया गया है। शेष सरकारी गवाह,गौण होने से साक्ष्य हेतु बुलाना उचित नही समझा गया।

7. प्रार्थी व अप्रार्थीगण सं.1से 3 की बहस सुनी गई, प्रार्थी ने अपने परिवाद प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को बहस में दोहराया व रिफाइण्ड मूंगफली का तेल (पोस्टलाईन ब्राण्ड) नमूना जांच रिपोर्ट में मिस ब्राण्डडेड पाया जाने से अप्रार्थीगण पर जुर्माना आरोपित करने का निवेदन किया। इसके विपरीत अप्रार्थीगण के वकील ने अपने जवाब प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को बहस में दोहराया व प्रार्थी का परिवाद खारिज करने का निवेदन किया।

8. बहस पर मनन किया व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया। अप्रार्थी सं.3की फर्म मैसर्स एस.के.ऑइल इण्डस्ट्रीज जलगांव से अप्रार्थी सं. 2 की फर्म-भागीरथमल लालचंद, भीनमाल द्वारा पोस्टलाईन तेल खरीदने का बिल नं. 2346 दिनांक 24.2.16की फोटो प्रति पेश हुई है। इसी प्रकार अप्रार्थी सं.2 की फर्म-भागीरथमल लालचंद,भीनमाल से अप्रार्थी सं.1 की फर्म-परिहार जनरल स्टोर भीनमाल द्वारा उक्त तेल खरीदने के बिल की फोटो प्रति संलग्न पत्रावली है। अतः परिवाद में वर्णित तथ्यो ,साक्ष्य सरकार सं.1 के बयान तथा इसके साथ संलग्न दस्तावेजात्, खाद्य विश्लेषक जोधपुर से प्राप्त जांच-रिपोर्ट संख्या एल एस/429/ एक्ट/2016/457 दिनांक 27.4.2016से स्पष्ट हैं कि अप्रार्थी सं.1 से लिया गया रिफाईण्ड मूंगफली का तेल(पोस्टलाईन ब्राण्ड) का नमूना Misbranded पाया गया। जांच रिपोर्ट में Agmark Certification mark :Not given,Statement/Slogan "Jale kam Bache Jyada, way to a healthy life style" बताया गया है। चूंकि अप्रार्थी सं.1 ने उक्त **मिसब्राण्डेड** रिफाइण्ड मूंगफली का तेल(पोस्टलाईन ब्राण्ड) अपनी फर्म में आम जनता को बैचान हेतु रखा हुआ था जो अप्रार्थी सं.2की फर्म से खरीद किया है व अप्रार्थी सं.2 की फर्म ने अप्रार्थी सं.3 की फर्म से खरीद किया है जिसके लिए अप्रार्थी से1 से 3 दोषी है। अतः अप्रार्थी सं.1 से 3 द्वारा खाद्य मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(।।)के उल्लंघन करने से खाद्य मानक अधिनियम 2006 की धारा 52के तहत् प्रदत्त शक्ति का उपयोग करते हुए अप्रार्थी सं.1 से 3 पर क्रमशः20,000/-,20,000/-,20,000 /- रूपये, कुल 60,000/-रूपये,अक्षरे साठ हजार रूपये मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है। साथ ही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जालोर को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उक्त राशि अप्रार्थी सं. 1 से 3 से वसूल कर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बजट हैड- "0210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04-लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03)-खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि " में नियमानुसार निर्णय एक माह के अन्दर अन्दर जमा करवाकर चालान की प्रति पेश करे।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 2.5.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

S.d. 2/5/19
(छगनलाल गोयल)
न्याय निर्णयन अधिकारी
(अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट)
जालोर

क्रमांक/ 403–408

दिनांक 2.5.2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1.खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक(जन स्वास्थ्य)चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज.जयपुर।
2.अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जालोर
3.श्री गजेन्द्र कुमार,खाद्य सुरक्षा अधिकारी,कार्यालय मु.चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधि.जालोर।
4.श्री बाबूलाल पुत्र जीवाजी,मैसर्स–परिहार जनरल स्टोर, माघ चौक,भीनमाल, जिला जालोर/ भागीरथमल पुत्र लालचंद/लालचंद अग्रवाल,गणेश चौक भीनमाल, निवासी–325अग्रवाल कॉलोनी,भीनमाल जिला जालोर,मो.नं.9928140780, 9413656918/राजेन्द्र टेकचंद अग्रवाल, मैसर्स–एस.के.इण्डस्ट्रीज,2706/2 बी, शिवाजीनगर,जलगांव महाराष्ट्र–425001,मो.नं. 0941435670

S.d. 2/5/19
(छगनलाल गोयल)
न्याय निर्णयन अधिकारी
(अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट)
जालोर

Signature Not Verified
Digitally signed by Chhagan Lal Goyal
Date: 2020.01.01 16:31:09 IST
Reason: SelfAttested
Location: